न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 50/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स

I. छोगालाल के कायम मुकाम–

1/1 भवरी पत्नी स्व0 छोगाराम
1/2 भारती पुत्री स्व0 छोगाराम
1/3 मीना पुत्री स्व0 छोगाराम
1/4 उत्तम कुमार पुत्र स्व0 छोगाराम
1/5 तेजपाल पुत्र स्व0 छोगाराम

समस्त जातियान प्रजापति, निवासी ग्राम रामा, तहसील आहोर जिला जालोर

1. मथरा देवी पुत्री बाबरीयाजी
2. अमरू देवी पुत्री बाबरीयाजी
3. सुकी देवी पुत्री बाबरीयाजी
4. अदरा देवी पुत्री बाबरीयाजी
5. प्रेमाराम पुत्र बाबरीयाजी
6. हीराराम पुत्र बाबरीयाजी

(समस्त निवासीगण गुडाराम तहसील आहोर जिला जालोर)

7. सरपंच/ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्रा0पं0 निम्बला, तह0 आहोर
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी आहोर दिनांक 14.07.2017 म्यूटेशन अपील संख्या 08/2016 (रिमाण्ड प्रकरण) अनवान मथरा देवी वगैरा बनाम सरपंच ग्रा0पं0 निम्बला वगैरा

उपस्थित–

1. श्री गणपत लाल प्रजापत वकील अपीलाण्ट
2. श्री गजेन्द्र सिंह वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7व 8

निर्णय

दिनांक 09 .11.2022

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 08/2016 मथरा देवी वगैरा बनाम सरपंच/ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत निम्बला वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुडारामा तहसील आहोर के पुराने खसरा नम्बर 219 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि (वर्तमान खसरा नं0 112 कुल रकबा 0.95 है0 व खसरा नं0 516 रकबा 3.01 है0 कुल रकबा 3.96 हैक्टर) बाबरिया पुत्र किशना कौम रेबारी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिनका फौतेदगी नामान्तरण संख्या 215 सरपंच ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा प्रेमाराम व हीराराम वल्द बाबरिया (वर्तमान प्रत्यर्थी सं0 5 व 6) के नाम दिनांक 07.07.2001 को स्वीकृत किया गया।
3. इससे व्यथित होकर मृतक खातेदार की पुत्रीयां मथरादेवी, अमरूदेवी, सुकीदेवी व अदरादेवी (वर्तमान प्रत्यथी सं0 1 से 4) द्वारा उपखण्ड अधिकारी आहोर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 10/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 215 स्वीकृत दिनांक 07.07.2001 को अपास्त कर, तहसीलदार आहोर को स्व0 बाबरीया के जायद विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।
4. उपखण्ड अधिकारी आहोर के उक्त आदेश के विरूद्ध छोगाराम पुत्र शेराजी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष खसरा नं0 516 रकबा 3.01 है0 भूमि का सदभाविक केता होने के नाते अपील प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील संख्या 54/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2016 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी आहोर का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आहोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह अपीलांट एवं मृतक खातेदार बावरिया के विधिक वारिसान को विविधवत सुनवाई का अवसर देकर, विक्रय विलेख, वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं संबंधित समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करे।
5. उक्त निर्देश की पालना में उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा दर्ज (रिमाण्ड प्रकरण) नामान्तरकरण अपील संख्या 08/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के द्वारा उक्त अपील के रेस्पो0 सं0 4 एवं वर्तमान अपीलांट–छोगालाल पुत्र शेराजी की ओर से किसी प्रकार का जवाब अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये जाने

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

तथा अपील में रेस्पो0 सं0 2 व 3 प्रेमाराम व हीरालाल द्वारा अपीलांट एवं वर्तमान रेस्पो0 सं0 1 से 4 को मृतक खातेदार बावरिया के प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना स्वीकार करने के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 215 स्वीकृत दिनांक 07.07.2001 को अपास्त कर, तहसीलदार आहोर को स्व0 बावरीया वल्द किशना के जायद विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट्–छोगाराम ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

7. अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

8. बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 14.7.17 पारित कर ना0क0 सं0 215 को अपास्त करने में गंभीर भूल की है। उक्त ना0क0 रजिस्टर्ड बेचाननामे के आधार पर अपीलांट के पक्ष में भरा गया था तथा प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 ने इसे चुनौति दिये बिना कार्यवाही की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त बेचाननामे व ना0क0 का तथा रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी नां0क0 सं0 215 में दर्ज कृषि भूमि का बोनाफाईड पर्चेजर है तथा प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 को इसकी पूर्ण जानकारी थी व आपसी मिलीभगत से अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से यह झूठी कार्यवाही की गई है। प्रत्यर्थी सं0 1 से 6 सगे भाई बहन है। इसलिए प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 को प्रत्यर्थी सं0 5 से 6 द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। ना0क0 सं0 215 की कृषि भूमि प्रेमाराम व हीराराम द्वारा रहन रखी गई थी, जिसकी अदायगी इन्ही के द्वारा की गई है। अतः उक्त ना0क0 सही होना पूर्णतः प्रमाणित है। उक्त कृषि भूमि पर

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 का न तो कब्जा था और ना ही कोई हक अधिकार है, ना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया तथा प्रकरण की विषय वस्तु के बाहर जाकर बहनों का समान हिस्सा मानने मे गंभीर भूल की है। विधिवत तौर पर भरा गया ना0क0 सं0 215 व विक्रय पत्र के पश्चातवर्ती ना0क0 सं0 411 स्वीकृत दिनांक 20.6.10 का अवलोकन नही किया गया। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व विधिक प्रावधानों का सही अवलोकन नही किया गया। अतः अपील स्वीकार की कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.17 को अपास्त किया जाकर ना0क0 सं0 215 स्वीकृत दिनांक 7.7.21 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में फार्म नं. 3 के साथ साक्ष्य दस्तावेजो की प्रतियां व मा0 उच्च एवं उच्चतम न्यायालय की निर्णय नजीरे, लिखित बहस–भंवरीदेवी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के जवाब में जवाबुल जवाब तथा लिखित मुख्य बिन्दु बहस प्रस्तुत की गई।

9. जवाब में रेस्पो0 सं0 1 व 6 के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि बाबरिया पुत्र किशना रेबारी के नाम खातेदारी में दर्ज ग्राम गुडारामा तहसील आहोर के पुराने खसरा नम्बर 219 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 215 सरपंच ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा प्रेमाराम व हीराराम वल्द बाबरिया (वर्तमान प्रत्यर्थी सं0 5 व 6) के नाम दिनांक 07.07.2001 को स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध वर्ष 2013 में प्रथम बार मृतक खातेदार की पुत्रीयां मथरादेवी, अमरूदेवी, सुकीदेवी व अदरादेवी (वर्तमान प्रत्यथी सं0 1 से 4) द्वारा उपखण्ड अधिकारी आहोर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 215 स्वीकृत दिनांक 07.07.2001 को अपास्त कर, तहसीलदार आहोर को स्व0 बाबरीया के जायद विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी आहोर के उक्त आदेश के विरूद्ध छोगाराम पुत्र शेराजी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष खसरा नं0 516 रकबा 3.01 है0 भूमि का सदभाविक क्रेता होने के नाते से वर्ष 2016 में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे पारित निर्णय दिनांक 21.01.2016 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी आहोर का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आहोर को अपीलांट एवं मृतक खातेदार बावरिया के विधिक वारिसान को विविधवत सुनवाई का अवसर देकर, विक्रय विलेख, वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं संबंधित समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी आहोर न्यायालय में दर्ज (रिमाण्ड प्रकरण) संख्या 08/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अपीलांट–छोगालाल पुत्र शेराजी की ओर से किसी प्रकार का जवाब अथवा दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किये जाने तथा प्रेमाराम व हीरालाल द्वारा अपीलांट–वर्तमान रेस्पो0 सं0 5 व 6 द्वारा वर्तमान रेस्पा0 सं0 1 से 4 को मृतक खातेदार बावरिया की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होना स्वीकार करने के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 215 स्वीकृत दिनांक 07.07.2001 को अपास्त कर, तहसीलदार आहोर को स्व0 बावरीया वल्द किशना के जायद विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया, जो विधिसम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे एआईआर 2020 सुप्रिम कोर्ट 3717 व 2009 डीएनजे (एससी) 141, 143,767 की निर्णय नजीरे पेश की गई।

10. रेस्पो सं0 7 व 8 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया गया।

12 उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यान पूर्वक अवलोकन

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि ग्राम गुडारामा तहसील आहोर के पुराने खसरा नम्बर 219 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि (वर्तमान खसरा नं0 112 कुल रकबा 0.95 है0 व खसरा नं0 516 रकबा 3.01 है0 कुल रकबा 3.96 हैक्टर) बाबरिया पुत्र किशना कौम रेबारी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिनका फौतेदगी नामान्तरण संख्या 215 सरपंच ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा प्रेमाराम व हीराराम वल्द बाबरिया (वर्तमान प्रत्यर्थी सं0 5 व 6) के नाम दिनांक 07.07.2001 को स्वीकृत किया गया। जिसमें रेस्पो0 सं0 1 से 4 जो कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक खातेदार बाबरीया की प्रथम श्रेणी की वारिसान थी, उन्हें अपने हक व अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.17 पारित करने में किसी प्रकार की भूल नही की गई है।

अपीलांट का कथन है कि ''वह उक्त फौतेदगी नामान्तरण संख्या 215 में दर्ज खसरा नं0 516 रकबा 3.01 हैक्टर भूमि का सदभाविक केता है। जो कि खातेदार प्रेमाराम व हीराराम वल्द बाबरीया द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 8.6.2010 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गई थी व इसके आधार पर ना0क0 सं0 411 सरपंच ग्रा.प. निम्बला द्वारा दिनांक 20.6.10 को पारित किया गया, उसके विरूद्ध रेस्पो0 सं0 1 से 4 ने किसी न्यायालय में कोई चुनौती नही दी गई है। पंजिबद्ध बेचाननामें में विक्रय की गई भूमि का समस्त हक, अधिकार व कब्जा सुपुर्द करने का उल्लेख है, अतः विधि विधान के अनुसार अपीलांट 12 वर्ष की अवधि के पश्चात एडवर्ष पजेशन के आधार पर खातेदार की श्रेणी में आ चुका है।'' जिससे मात्र नामान्तरकरण की समरी प्रोसिडिंग कार्यवाही के आधार पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों के खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाना विधि अनुकूल नही माना जा सकता है। पक्षकारान अपने अधिकारों का विनिश्चयन हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

वर्तमान मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 07.07.2001 को निरस्त कराने हेतु प्रथम अपील दिनांक 25.03.2013 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपीलांट को भी रेस्पो. सं0 4 संयोजित किया गया था, इसमे पारित निर्णय दिनांक 14.5.15 के अनुसार ये अनुपस्थित रहे व इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में प्रस्तुत द्वितीय अपील सं0 54/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.6.2016 के अनुसार अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट एवं मृतक खातेदार बावरीया के विधिक वारिसान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर, विक्रय विलेख, वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं संबंधित समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करे। जो उपखण्ड अधिकारी आहोर के न्यायालय में ना0अ0 सं0 08/2016 दर्ज होकर दिनांक 14.7.17 को निर्णित हुआ, जिसमें पारित निर्णय के अनुसार अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, इनकी ओर से द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इससे प्रतीत है कि अपीलांट इस मामले में विलंब की इच्छा रखता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

09/11/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर